न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 49/2017

अपीलांटस		रेस्पोडेटस
1. हडूमानराम पुत्र अर्जुनराम 2. बगताराम पुत्र अर्जुनराम 3. हरखू पत्नी अर्जुनराम 4. हेराजराम पुत्र मंगनाराम 5. थानाराम पुत्र मंगनाराम जाति जाट निवासी टांकेलियासरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर	बनाम	1. हुकमाराम पुत्र गोरधनराम 2. दमाराम पुत्र गोरधनराम 3. मगाराम पुत्र गोरधनराम 4. उमाराम पुत्र गोरधनराम 5. भैराराम पुत्र मोटाराम 6. खेताराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी हुडो की ढाणी व टांकेलियासरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 08.07.2013 द्वारा तहसीलदार बायतु।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थित– 1. अपीलांटस 01 व 5 मय अधिवक्ता श्री रिणछाराम सियाग उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 06 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 07 की ओर से भू.अ. निरीक्षक उपस्थित।

आदेश — दिनांक 30.05.2018

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 190 रकबा 131.03 बीघा सरहद मौजा हुडो की ढ़ाणी व खसरा नंबर 240, 241 255, 269, 275, 277 कुल रकबा 189.02 बीघा मौजा टांकलियासर तथा खसरा नंबर 22 रकबा 60.2 बीघा मौजा चवानाडा पटवार क्षेत्र कोसरिया तहसील बायतु में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 06 का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है। तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी बाहामी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है। तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियां

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बनाई हुई है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 ने आपसी सहमति से माकिफ बाहामी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार जोतो का विभाजन करवाने हेतु अपीलांटस के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे अपीलांटस द्वारा सहमति दी गई, परन्तु उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा अपीलांटस द्वारा दी गई सहमति अनुसार पेश नही कर, हल्का पटवारी को प्रभावित करते हुए भिन्न प्रकार से प्रस्ताव तैयार कर अपीलांटस की जानकारी के बगैर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया तथा तहसीलदार बायतु से अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2013 पारित करवाया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रिकार्ड तलब किया। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न्याय आपके द्वार के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। अपीलांटस मय वकील उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 07 की ओर से भू. अ.निरीक्षक उपस्थित।

3. हमने उभय पक्षो को सुना। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांटस की स्थाई रहवासी ढाणियॉ विभाजन आदेश के जरिये रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 के हक में रख दी। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 6 के पूर्वज तीन भाई मंगना, गोरधन व मोटा थे। तीनों को कुल भूमि रकबा 380.07 बीघा में बराबर–बराबर हिस्सा 1/3–1/3 करने पर प्रत्येक के हिस्से में 126.16 बीघा आती है, मगर उक्त विभाजन आदेश के अनुसार प्रत्येक के हिस्से में 124.08 बीघा भूमि दी गई है। रेस्पोडेंटस ने अपने हिस्से में ज्यादा भूमि रखी है। जिससे अपीलांटस के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। सर्वप्रथम अपीलान्टस को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 01.08.2017 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश पारित कराने के आदेश प्रदान करावें।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 के द्वारा जाहिर किया कि खसरा नंबर 190 रकबा 131.03 बीघा सरहद मौजा हुडो की ढाणी व खसरा नंबर 240, 241, 255, 269, 275, 277 कुल रकबा 189.02 बीघा मौजा टांकलियासर तथा खसरा नंबर 22 रकबा 60.02 बीघा मौजा चवानाडा पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त कब्जा काश्त है। पक्षकारान द्वारा बंटवाड़ा आपसी सहमति से करवाया गया था। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांटस द्वारा की गई अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमने अपीलांटस के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 द्वारा किये गये कथनो पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 8.7.2013 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 190 रकबा 131.03 बीघा सरहद मौजा हुडो की ढ़ाणी व खसरा नंबर 240, 241 255, 269, 275, 277 कुल रकबा 189.02 बीघा मौजा टांकलियासर तथा खसरा नंबर 22 रकबा 60.2 बीघा मौजा चवानाडा पटवार क्षेत्र कोसरिया तहसील बायतु में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 का संयुक्त कब्जा काश्त है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से पारित विभाजन में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बायतु को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में दिनांक 30.5.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)
अपर कलक्टर, बाड़मेर